



2026:AHC:130388

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21953 वर्ष 2026

प्रवीण कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: राजेश शर्मा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 171 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 317(3) के तहत, थाना- सिकंदरा राउ, जिला- हाथरस में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी यश कसाना और विशाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2026 और 18.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17051 वर्ष 2026 और 20200 वर्ष 2026 में पारित आदेशों के माध्यम से नियमित जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के खिलाफ एक पूर्व प्रकरण है जिसमें वह जमानत पर है और वह 11.04.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गीतम सिंह और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और कहा कि आवेदक से 8,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है, जो स्पष्ट रूप से कथित अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाती है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी यश कसाना और विशाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2026 और 18.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17051 वर्ष 2026 और 20200 वर्ष 2026 में पारित आदेशों के माध्यम से नियमित जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक प्रवीण कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक निचली न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

अइमान